



जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मय्यादित, खण्डवा

प्रधान कार्यालय, रामेश्वर रोड, खण्डवा (म.प्र.)

फोन 0733-2222733 फैक्स 0733-2223863

E-mail- jskbkhandwa@gmail.com

क०/लेखा/2019/2592

दिनांक- 11.09.2019

प्रति,

शाखा प्रबंधक,

शाखा ----- (समस्त)

विषय :- **NEFT/RTGS सुविधा लागू करने बाबत।**

संदर्भ:- बैंक पत्र कं./लेखा/2017/1641/दिनांक-11.07.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। बैंक प्रशासक द्वारा दिनांक-11.09.2019 में पारित निर्णय अनुसार शाखाओं द्वारा ग्राहकों से NEFT/RTGS सुविधा हेतु चार्जस लिया जाना है, जो दिनांक-20.09.2019 से पुनः लागू किये जाते हैं, जिसका समयानुसार विवरण निम्नवत् है:-

20.09.2019 से लागू NEFT चार्जस:-

क.	समय	राशि	कमीशन	GST 18%	कुल राशि
1		रु. 10000/- तक	5/-	0.90	5.90
2	प्रातः 9 बजे से दोप. 4:30 बजे तक	रु. 10000/- से अधिक एवं 1.00 लाख तक	10/-	1.80	11.80
3		रु. 1.00 लाख से अधिक एवं 2.00 लाख तक	20/-	3.60	23.60

20.09.2019 से लागू RTGS चार्जस:-

क.	समय	राशि	कमीशन	GST 18%	कुल राशि
1	प्रातः 9 बजे से दोप. 12 बजे तक	2.00 लाख 5.00 लाख तक	25/-	4.50	29.50
		5.00 लाख से अधिक	50/-	9.00	59.00
2	दोप. 12 बजे से दोप. 2.30 बजे तक	2 लाख से 5 लाख तक	25/-	4.50	29.50
		5 लाख से अधिक	50/-	9.00	59.00
3	दोप 3.00 बजे से दोप 4.30 बजे तक	2 लाख से 5 लाख तक	30/-	5.40	35.40
		5 लाख से अधिक	60/-	10.80	70.80

उक्तानुसार NEFT/RTGS से प्राप्त किये जाने वाले कमीशन राशि पर नियमानुसार 18 प्रतिशत की GST राशि वसूल की जाकर कुल राशि (उदाहरण:-5.90 पै., 29.50 पै.) जमा की कार्यवाही सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त बैंक कर्मचारीयों को नोट कराकर ग्राहकों हेतु सूचना पटल पर चरप्पा करें।

वरिष्ठ महाप्रबंधक

दिनांक- 11.09.2019

क०/लेखा/2019/

प्रतिलिपि:-

- कक्ष प्रमुख ----- कक्ष प्रधान कार्यालय, खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- कक्ष प्रभारी-सीबीएस कक्ष की ओर लेख है कि IR में स्पष्ट अंकित करें की GST चार्ज राउन्ड फिगर में वसूल न करें।

वरिष्ठ महाप्रबंधक